न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 127/2024
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/205

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
छगनलाल पुत्र चांपाराम जाति माली निवासी संजय कोलानी,गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अध्यक्ष बालोतरा वॉटर पोल्यूशन कण्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट बालोतरा 2.ग्राम पंचायत बिठूजा तहसील पचपदरा 3.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक– 29.07.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ओर से एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विवादित आराजी के संबध मे पेश की गई थी,जो प्रकरण बहस में विचाराधीन चल रहा था। नियत सुनवाई तारीख पेशी पर अधिवक्ता मय अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर हस्तगत अपील अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज की गई,जबकि विवादित भूमि में प्रार्थी के हक हकूक निहित होने के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अपीलांट की ओर से हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.3.2024 को अपास्त कर अपीलांट की अपील पुनः बरामद करवानें हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र सहित पेश किया गया है।
2. प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3. प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से विवादित आराजी भूमि मे हक हकूक निहित होने के कारण अपील पेश की गई थी तथा प्रकरण अंतिम बहस मे विचाराधीन चल रहा था। नियत पेशी तारीख को पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में आदेश दिनांक 28.3.2024 के द्वारा खारिज किया गया,जबकि प्रार्थी/अपीलाण्ट के विवादित भूमि में हक हकूक निहित है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है,तो प्रार्थी/अपीलाण्ट के साथ अन्याय होगा,जिसकी भविष्य में पूर्ति नहीं की जा सकती है। वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 28.3.2024 को अपास्त किया जाकर मूल अपील को पुनः बरामद किए जाने के आदेश फरमावें।

4. हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूल अपील संख्या 33/2016 अनवान छगनलाल बनाम अध्यक्ष बालोतरा वॉटर पोल्यूशन कण्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट बालोतरा बहस स्तर पर विचाराधीन चल रहा था और निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 28.3.2024 को अपीलाण्ट अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट की अपील अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज की गई,जो आदेशिका की प्रमाणित आदेशिका अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि मूल अपील अपीलाण्ट अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण खारिज की गई थी तथा प्रकरण अंतिम बहस स्तर पर विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय हाजा का अभिमत है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न कि तकनीकी आधार पर। पक्षकार को अपना पक्ष रखनें के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए,ताकि वे अपने हक हकूको के लिए पैरवी कर सके। हस्तगत प्रकरण अंतिम बहस स्तर पर खारिज हुआ है। प्रार्थी पक्ष को अपना पक्ष रखनें के लिए सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है,अगर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते है,तो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। प्रार्थी/अपीलाण्ट को मूल अपील में अपने हक हकूको को साबित करने के लिए एक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्षकार न्याय प्राप्ति से वंचित नहीं रहे। इसके उपरांत विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाने मे विप्रार्थी की मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि उजर एतराज होता,तो विप्रार्थी पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नही किया गया। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील संख्या 33/2016 अनवान छगनलाल बनाम बनाम अध्यक्ष बालोतरा वॉटर पोल्यूशन कण्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट बालोतरा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.3.2024 को अपास्त किया जाकर मूल अपील को पुनःबरामद किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
29/07/25

आदेश आज दिनांक 29/07/25 को लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
29/07/25